झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08/ज०सं०(नि०) हजा०– 04–05/2016 ..../राँची, दिनांक : ....

आदेश

श्री अनुप कुमार माथुर, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा कोनार नहर प्रमण्डल के बगोदर के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर पेंशन नियमावली के नियम–43बी० के अन्तर्गत संकल्प सं०– 5473 दिनांक– 01.12.2016 एवं 5165 दिनांक– 06.12.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इनके विरूद्ध निम्न आरोप थे :–

कोनार नहर प्रमण्डल, बगोदर के एकरारनामा सं०–02F2/2007–08 में बिना समयवृद्धि की स्वीकृति प्राप्त किये, समयवृद्धि के रूप में काटी गई राशि रू० 771997.00 की विमुक्ति श्री माथुर द्वारा की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित पाया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के विरूद्ध निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई :–

पेंशन की राशि से 15% की कटौती दस वर्षों तक।

3. श्री माथुर से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा में यह पाया गया कि इसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया है, जिसे स्वीकार किया जा सके। अतएव सम्यक् समीक्षोपरान्त द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया :–

(i) पेंशन की राशि से 15% की कटौती दस वर्षों तक।

4. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : ......1073...................................राँची/दिनांक 14/02/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/उप सचिव, प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमण्डल, बगोदर/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री अनुप कुमार माथुर, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, पता– डुप्लेक्स–621, केश्यूनट, सहारा गार्डेन सिटी, आदित्यपुर, जमशेदपुर, 831014 को सूचनार्थ प्रेषित।

13/02/19
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08 LS(N) Haza 04 05 2016 (Anup K Mathur).docx 1